भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2383

(जिसका उत्तर सोमवार, 04 अगस्त, 2025/13 श्रावण,1947 (शक) को दिया जाना है।)

"एलआईसी प्रीमियम पर जीएसटी कम करना"

2383. श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या सरकार की एलआईसी प्रीमियम पर जीएसटी कम करने की कोई योजना है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या जीएसटी परिषद की बैठक में इस मुद्दे पर कोई निर्णय लिया गया है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क)से (घ): सभी सेवाओं और वस्तुओं पर जीएसटी दरें और छूटें जीएसटी परिषद, जो एक संवैधानिक निकाय है और जिसमें केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों दोनों की सरकारों के सदस्य शामिल होते हैं, की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।

स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी से संबंधित मुद्दा नई दिल्ली में दिनांक 9 सितम्बर, 2024 को आयोजित जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में जीएसटी परिषद के समक्ष रखा गया। विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात जीएसटी परिषद ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर समग्र रूप से विचार करने के लिए मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) के गठन की सिफारिश की। तदनुसार, जीवन और स्वास्थ्य बीमा संबंधी मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन श्री सम्राट चौधरी, माननीय उप मुख्य मंत्री, बिहार की अध्यक्षता में किया गया।

दिनांक 21 दिसम्बर, 2024 को जैसलमेर में आयोजित जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक के दौरान जीवन और स्वास्थ्य बीमा संबंधी मंत्रियों के समूह (जीओएम) के संयोजक ने मंत्रि समूह की सिफारिशों को अंतिम रूप देने और उन्हें जीएसटी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कुछ और समय मांगा। परिषद ने मंत्रियों के समूह को अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए कुछ और समय देने के लिए सहमति दे दी है।

***